

4/6  
295

पत्रावली पेश। वकील वादी व वादी को  
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज  
लگانे के बावजूद भी वकील वादी व  
वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने  
पर वादी का वाद उपलभ्य हाजरी उपलभ्य  
पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल्य शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
दादारासगढ़ (सीकर)